संख्या- 119/2025/1657/छप्पन-2025-60/1993 टी0सी0

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 23 दिसम्बर, 2025

विषयः श्रावस्ती हवाई अड्डे हेतु 11 के0वी0 समर्पित भूमिगत फीडर लाइन के निर्माण के लिए रू0 82,69,283/-(रूपए बयासी लाख उनहत्तर हजार दो सौ तिरासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 228/ना0उ0नि0-2025-एस-2-/2018 दिनांक 27.10.2025 एवं पत्र संख्या 308/आर0सी0एस0-2025-एस-2/2018 दिनांक 17.12.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी, श्रावस्ती के पत्र संख्या- 1368/ना0स0-एयरपोर्ट विद्युत् व्यवस्थापन/2025 दिनांक 14.08.2025 के क्रम में श्रावस्ती हवाई अड्डे हेतु 11 के0वी0 समर्पित भूमिगत फीडर लाइन के निर्माण के लिए अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रावस्ती के आगणन रू0 82,69,283/- (रूपए बयासी लाख उनहत्तर हजार दो सौ तिरासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि जिलाधिकारी, श्रावस्ती के निवर्तन हेतु स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रावस्ती हवाई अड्डे हेतु 11 केवी समर्पित भूमिगत फीडर लाइन के निर्माण के लिए अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रावस्ती के आगणन रू0 82,69,283/- (रूपए बयासी लाख उनहत्तर हजार दो सौ तिरासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 82,69,283/- (रूपए बयासी लाख उनहत्तर हजार दो सौ तिरासी मात्र) जिलाधिकारी, श्रावस्ती के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा तथा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करना सुनिश्चित करेंगे।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
7. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
10. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 82,69,283/- (रूपए बयासी लाख उनहत्तर हजार दो सौ तिरासी मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, श्रावस्ती के निवर्तन पर रखी जाएगी और जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा यथावश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्ष को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन राजस्व लेखा लेखा शीर्ष "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय" से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 119/2025/1657(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10 ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन।
4- जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्रावस्ती।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/ ऊर्जा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7- मुख्य अभियन्ता, नियन्त्रण एवं अनुश्रवण इकाई(वितरण), उ0प्र0, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, चतुर्थ तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in